क़ीमत 5 रूपये

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 08 | अप्रैल 16–30, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–8

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव :

चुनाव जनसमूह को धोखा देने और गुमराह करने के हथकंडे हैं

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 6 अप्रैल, 2021

असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी की विधानसभाओं के चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किये जायेंगे।

ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहे हैं जब पूरा देश सब–तरफा संकट में फंसा हुआ है। इस संकट का आधार आर्थिक संकट है। कृषि से आमदनी, औद्योगिक रोज़गार और निर्यात, ये सभी कोरोना महामारी के फैलने से पहले ही घटते जा रहे थे। हाल के दिनों में मज़दूरों और किसानों की यूनियनें भारी संख्या में बाहर निकलकर विरोध कर रही हैं। लॉकडाउन की पाबंदियों के बावजूद, इन विरोध प्रदर्शनों में महिलाएं और नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं।

न सिर्फ शोषकों और शोषितों के बीच बल्कि शोषकों के बीच भी अंतर्विरोध और तेज़ होते जा रहे हैं। देश पर शासन कैसे किया जाये, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाये, इन मुद्दों पर तीखे झगड़े चल रहे हैं। तीखे होते इन सारे अंतर्विरोधों के बीच ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं।

वर्तमान व्यवस्था के अन्दर, चुनाव पूंजीपति वर्ग को लोगों के बीच जाकर खूब सारा झूठा प्रचार करने का एक मौका देता है। चुनाव इस झूठ को जिन्दा रखने का काम करते हैं कि, लोग अपना वोट देकर अपनी पसंद की सरकार को चुनते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि इजारेदार पूंजीपति चुनावों का इस्तेमाल करके यह तय कर लेते हैं कि उनकी कौन–सी पार्टी उनके कार्यक्रम को सबसे बेहतर तरीके से लागू कर सकती है और साथ–साथ लोगों को भी सबसे बेहतर तरीके से बुद्धू बना सकती है।

इजारेदार पूंजीपति वर्ग – जिसकी अगुवाई टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और दूसरे इजारेदार पूंजीवादी घराने कर रहे हैं – चुनाव अभियानों का अजेंडा तय करता है। इजारेदार पूंजीपतियों के इस अजेंडे को फैलाने में टी.वी. मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, कॉर्पोरेट मीडिया ने वहां के चुनावों को खुदगर्ज पार्टियों और नेताओं के दो प्रतिस्पर्धी दलों के बीच आपसी झगड़े के रूप में पेश किया है। कहीं–कहीं तीन गठबंधन भी हैं। बाकी सारे उम्मीदवारों को पूरी तरह नज़रंदाज़ किया जाता है।

> **हुक्मरान वर्ग यह प्रचार करता है कि हर मामले में, प्रतिस्पर्धी दलों के बीच की दौड़ में काफी हद तक बराबरी है। लोगों पर यह दबाव होता है कि वे इस या उस जीतने वाले घोड़े के बीच में से चुनें। अंत में जीत किसकी होगी, यह हुक्मरान वर्ग तय करता है। हुक्मरान वर्ग के पास आवश्यक वोट संख्या तैयार करने व मनचाहा नतीजा हासिल करने के तमाम तरीक़े हैं।**

पश्चिम बंगाल के चुनावों को मोदी और ममता के बीच की स्पर्धा बताई जा रही है। तमिलनाडु में द्रमुक (डी.एम.के.) और अन्ना–द्रमुक (ए.आई.डी.एम.के.) के बीच की स्पर्धा बताई जा रही है। असम में भाजपा–नीत गठबंधन और कांग्रेस पार्टी नीत गठबंधन के बीच में स्पर्धा बताई जा रही है। केरल में यह कांग्रेस पार्टी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के बीच में स्पर्धा बताई जा रही है, जिसमें भाजपा तीसरा पक्ष है।

हुक्मरान वर्ग यह प्रचार करता है कि हर मामले में, प्रतिस्पर्धी दलों के बीच की दौड़ में काफी हद तक बराबरी है। लोगों पर यह दबाव होता है कि वे इस या उस जीतने वाले घोड़े के बीच में से चुनें। अंत में जीत किसकी होगी, यह हुक्मरान वर्ग तय करता है। हुक्मरान वर्ग के पास आवश्यक वोट संख्या तैयार करने व मनचाहा नतीजा हासिल करने के तमाम तरीके हैं।

हाल के दशकों में, इस संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था का कुत्सित चेहरा पहले से कहीं ज्यादा साफ–साफ सामने आने लगा है। संचार के आधुनिक तौर–तरीकों और इसके साथ–साथ करोड़ों–करोड़ों लोगों के व्हाट्स एप्प और ई–मेल जैसे निर्णायक डाटा पर इजारेदार पूंजीपतियों के नियंत्रण के चलते, चुनाव के नतीजों को तय करने में इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हथकंडे बहुत बढ़ गए हैं।

शेष पृष्ठ 8 पर

किसान आंदोलन का संघर्ष तेज़ किया जा रहा है

किसान आंदोलन ने 18 मार्च को हरियाणा विधानसभा द्वारा प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए पारित किये गए विधेयक के प्रति अपना विरोध जताने का ऐलान किया।

किसान आंदोलन इस विधेयक का विरोध करने के लिए ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों, वकीलों, व्यापारियों, महिलाओं और नौजवानों के संगठनों को लामबंध करेगा।

5 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, देशभर में भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के कार्यालयों का घेराव किया गया।

आन्ध्र प्रदेश के विजयवाडा और ओंगोल में, हरियाणा के कैथल, गुडगांव, रोहतक, फतेहाबाद, सोनीपत, अंबाला, करनाल, आदि में, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, अयोध्या, इलाहाबाद, नौएडा, आदि में और बिहार के सीतामढ़ी में एफ.सी.आई. के गोदामों पर प्रदर्शन किये गए। राजस्थान में

हनुमानगढ़, राजस्थान के एफ.सी.आई. गोदाम पर धरना

श्रीगंगानगर, नागौर, सवाई माधोपुर, आदि में विरोध प्रदर्शन हुए। पंजाब में 60 से अधिक जगहों पर विरोध प्रदर्शन किये गए, जिनमें कुछ मुख्य स्थान थे भवानीपुर, सुनाम, बरनाला, संगरूर, जालंधर, गुरदासपुर, मानसा और अमृतसर।

10 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, कुंडली–मानेसर–पलवल (के.एम.पी.) पश्चिमी एक्सप्रेसवे को 24 घंटे के लिए बंद किया गया। किसानों ने 6 लेन वाले हाईवे के बीच में अपनी ट्रेक्टर–ट्रालियां खड़ी कर दीं। हजारों–हजारों आंदोलनकारी किसानों ने के.एम.पी. एक्सप्रेसवे पर, अलग–अलग जगहों पर रैलियां और धरने आयोजित किये।

इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों की भी घोषणा की गयी जिसमें शामिल हैं – 14 अप्रैल को किसान बचाओ दिवस और 1 मई को किसान–मज़दूर एकता दिवस, जिसे दिल्ली के आसपास धरना प्रदर्शन स्थलों पर मनाया जायेगा।

तीनों किसान–विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए मई में संसद तक किसान–मार्च करने की योजना भी बनायी जा रही है।

http://hindi.cgpi.org/20718

के.एम.पी. एक्सप्रेसवे पर चक्काजाम

के.एम.पी. एक्सप्रेसवे पर चक्काजाम

अंदर पढ़ें

- पेरिस कम्यून की 150वीं वर्षगांठ 2
- बंदरगाहों के निजीकरण पर सभा 3
- लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन 5
- हवाई अड्डों के निजीकरण के ख़िलाफ़ 6
- ब्रिटेन में पुलिस शक्ति बढ़ाने का विरोध 7
- किसानों ने भारत बंद किया 7
- कृषि कानूनों की होली जलाई 7

पेरिस कम्यून की 150वीं वर्षगांठ :

मानव समाज की मुक्ति के संघर्ष में एक नए युग की शुरूआत

150 वर्ष पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में मज़दूर, राष्ट्रीय संकट की घड़ी में उठ खड़े हुए। उन्होंने एक नई राज्य सत्ता का ऐलान किया – मज़दूर मेहनतकशों का राज। उन्होंने सरमायदारों की राज्य व्यवस्था को नष्ट कर दिया। उन्होंने एक संपूर्ण नई राज्य व्यवस्था का निर्माण किया। एक स्थायी सेना की जगह पर, सभी लोग हथियारबंद होकर अपनी राज्य सत्ता की हिफ़ाज़त में तैनात हो गए। दुनिया के इतिहास में श्रमजीवी वर्ग की यह पहली राज्य सत्ता थी और मज़दूर वर्ग ने दिखा दिया कि जब उसके हाथों में राज्य सत्ता होती है, तो वह क्या हासिल कर सकता है! कई अन्य उपलब्धियों के अलावा मज़दूरों और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, कला और संस्कृति – जो कि पहले केवल अमीरों के लिए हासिल थे, सभी को मुहैया कराने के लिए, दुनिया में पहली बार कानून पारित किये गए और ठोस क़दम उठाये गए।

यह पेरिस कम्यून ही था, जिसने 20वीं सदी में दुनियाभर को श्रमजीवी क्रांति की राह दिखाई। जब यह सब चल ही रहा था, उस समय कार्ल मार्क्स ने "स्वर्ग के दरवाज़ों को तोड़ने" और मज़दूर वर्ग अपनी मुक्ति जिस राजनीतिक व्यवस्था में हासिल कर सकता है, उसकी खोज करने के लिए, पेरिस के मज़दूरों की जय–जयकार की। जैसे कि फ्रेडरिक एंगेल्स ने बताया कि पेरिस कम्यून ने जिस राजनीतिक व्यवस्था को पहली बार स्थापित किया है, वह कुछ और नहीं बल्कि श्रमजीवी वर्ग की हुक्मशाही है। कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध रचना, फ्रांस में गृहयुद्ध की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा कि "क्या आप देखना चाहते हैं, कि यह हुक्मशाही कैसी नज़र आती है?"... "तो फिर पेरिस कम्यून को देखो। यह श्रमजीवी वर्ग की हुक्मशाही थी।"

चारों ओर से दुश्मनों की घेराबंदी और सरमायदारों की पूरी ताक़त का सामना करते हुए, पेरिस कम्यून 26 मार्च से 30 मई तक, केवल 2 महीने के लिए ही टिक पाया। लेकिन अपने पीछे वह एक ऐसी विरासत छोड़ गया जिसे कभी भी ख़त्म नहीं जा सकेगा। उसकी विजय और उसकी पराजय, दोनों से मज़दूर वर्ग आंदोलन को कई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिले। पेरिस कम्यून का अनुभव लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी के लिए बहुमूल्य साबित हुए, जब रूस के मज़दूर वर्ग ने 1917 में अक्तूबर क्रांति की और दुश्मनों से क्रांति की हिफ़ाज़त करने के लिए कठिन संघर्ष चलाया।

पेरिस कम्यून की 150वीं सालगिरह पर हिन्दोस्तान का मज़दूर वर्ग मौत को चुनौती देने वाले कम्युनार्डों के जज़्बे को सलाम करता है और प्रण लेता है कि वह उनके अनुभवों से सबक सीखेगा और अपने देश में मज़दूरों और मेहनतकशों का राज क़ायम करेगा।

पेरिस कम्यून की घटनाएं

पेरिस कम्यून का गठन गहरे संकट के हालात में हुआ था, जब प्रशिया (कालांतर में यह जर्मनी का हिस्सा बना) की हमलावर फ़ौजों ने पेरिस शहर को घेर लिए था और दो महीने तक इसकी घेराबंदी क़ायम रखी थी। इसके एक वर्ष पहले फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय ने प्रशिया के ख़िलाफ़ विस्तारवादी जंग छेड़ दी थी, लेकिन इस जंग में उसकी पराजय हुई और सितम्बर 1870 में उन्हें प्रशिया की सेना ने बंदी बना लिया। इन हालातों में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा (फ्रेंच नेशनल असेंबली) के सरमायदारी सदस्यों ने नेपोलियन तृतीय का तख़्ता पलट कर दिया और फ्रांसीसी गणराज्य और एक राष्ट्रीय सुरक्षा की नयी सरकार का ऐलान कर दिया। लेकिन अडोल्फ थिएर्स के नेतृत्व में बनी इस सरकार का सामना जब तेज़ी से आगे बढ़ती दुश्मन सेना के साथ हुआ, तो वह पेरिस के बाहर वर्सेल्स को भाग खड़ी हुई

और बाद में फ्रांस के लोगों के पीठ–पीछे हथियार डालने के लिए प्रशिया के लोगों के साथ समझौता करने की कोशिश की, जबकि फ्रांस के लोग अपने देश की हिफ़ाज़त करने के लिए लामबंध हो गए थे। प्रशिया के लोगों ने इस समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पेरिस की घेराबंदी कर डाली, ताकि पेरिस के लोगों को भुखमरी और बमबारी के आगे झुकने को मजबूर कर दिया जाये।

जब मज़दूर वर्ग को सरमायदारों की गद्दारी के बारे में पता चला, तो पेरिस के मज़दूर वर्ग इलाकों में तैनात राष्ट्रीय गार्ड की टुकड़ियों ने बग़ावत कर दी और सत्ता अपने हाथों में ले ली। उन्होंने शहर में लोगों के नए प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव आयोजित किये और 26 मार्च को कम्यून की स्थापना हुई। पेरिस के लोगों ने अपनी राज्य सत्ता की स्थापना का बेहद ख़ुशी और उम्मीद के साथ स्वागत किया। बगैर कोई विलम्ब किये, इतिहास में पहली बार शोषक वर्गों की राज्य व्यवस्था को नष्ट करने, मेहनतकशों के सुख और कल्याण सुनिश्चित करने और शहर की सुरक्षा सुनिश्चितक करने के लिए कम्यून ने ठोस क़दम उठाये।

वर्सेल्स में बैठी सरमायदारों की सरकार का यह मानना था कि अपने ही देश के लोगों द्वारा स्थापित मज़दूर वर्ग की यह नयी राज्य सत्ता, उनके लिए दुश्मन देश की हमलावर सेना से अधिक ख़तरनाक है। उन्होंने जल्दी ही प्रशिया (अब जर्मनी) की सरकार के साथ समझौता कर लिया और दुश्मन सेना द्वारा बंदी बनाये गए अपने सैनिकों को रिहा करा लिया। प्रशिया ने फ्रांसीसी सरमायदारी सरकार की सेना को इस शर्त पर पुनर्गठित होने की इजाज़त दी कि वह अपनी ताक़त पेरिस कम्यून के ख़िलाफ़ झोंक देगी और इस शर्मनाक शांति समझौते के तहत फ्रांस को अपने कई इलाकों के साथ–साथ भारी हर्ज़ाना जर्मनी को देना पड़ा।

इसके बाद पेरिस पर फिर से कब्ज़ा जमाने के लिए फ्रांस और जर्मनी की सेना ने बर्बर सैनिक अभियान चलाया। पेरिस का मज़दूर वर्ग, महिला और पुरुष, सभी बड़ी बहादुरी से लड़े। एक सप्ताह की भयंकर लड़ाई के बाद, जिसे "खूनी सप्ताह" के नाम से जाना जाता है, 30 मई, 1871 को कम्यून की पराजय हो गई। इस दौरान फ्रांस के सरमायदारों की सेना ने पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित, लगभग 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई हजार लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में बंद कर दिया या देश निकाला दे दिया।

कम्यून द्वारा उठाये गए क्रांतिकारी क़दम

चूंकि कम्यून मज़दूर वर्ग द्वारा स्थापित पहली राज्य सत्ता थी, इसलिए उसके सामने कोई उदाहरण नहीं था जिसका वह अनुसरण कर सकती थी। लेकिन, इतने कम समय में उन्होंने जो क़दम उठाये वे दिखाते हैं कि वर्ग संघर्ष में विजयी मज़दूर वर्ग को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

जैसे कि मार्क्स और एंगेल्स ने आने वाले समय में लिखा कि कम्यून को एक बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि वह केवल "बने–बनाये मौजूदा राज्य तंत्र को अपने हाथों में लेकर अपने लक्ष्य के लिए उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता"। मौजूदा राज्य तंत्र को सरमायदार और उससे पहले का शोषक वर्ग सदियों से लोगों का दमन करने और उनके शोषण को और अधिक आसान करने के तरीक़ों को और अधिक कुशल करते आये हैं। इसलिए इस राज्य तंत्र को पूरी तरह से नष्ट करना और मज़दूर वर्ग द्वारा अपने हित में सत्ता चलाने के लिए नए तंत्रों और संस्थानों का निर्माण करना ज़रूरी था।

कम्यून ने जो सबसे पहला काम किया वह था, सरमायदारी राज्य की पुरानी स्थाई सेना को बर्ख़ास्त करना। अपने इस ऐलान के दो ही दिन बाद, 30 मार्च को कम्यून ने फरमान जारी किया कि पुरानी सेना की जगह राष्ट्रीय गार्ड का गठन किया जायेगा, जहां इसमें शारीरिक रूप से सबल सभी व्यक्तियों को शामिल किया जायेगा। इस तरह से शोषक वर्गों की सत्ता के सबसे बड़े स्तंभ, स्थाई सेना को एक ही झटके में ख़त्म कर दिया गया।

कम्यून के सभी सदस्यों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया। इन सदस्यों की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही थी और उन्हें किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता था। ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि लोग हमेशा मालिक बने रहेंगे। कम्यून की एक और खासियत यह थी कि इसमें कानून बनाने और उसे लागू करने की, दोनों ही भूमिकाएं एक साथ शामिल थीं, जहां चुने हुए प्रतिनिधि न केवल कानून पारित करते थे, बल्कि उनको लागू करने की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं प्रतिनिधियों की थी। ऐसा करते हुए यह सुनिश्चित किया गया कि कम्यून सरमायदारी विधानसभाओं की तरह केवल एक भाषणबाजी का अड्डा बनकर न रह जाये। न्यायाधीशों को भी लोगों द्वारा चुना जाता था और उन्हें भी किसी भी समय वापस बुलाया जा सकता था।

पुलिस सहित सभी सार्वजनिक अधिकारियों को कम्यून के निर्देशों के अनुसार काम करना होता था। यह फैसला किया गया कि इन सार्वजनिक अधिकारियों को भी एक मज़दूर के बराबर वेतन दिया जाएगा। विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन अधिकारियों वाली एक बेहद पेचीदा और परजीवी राज्य मशीनरी को ख़त्म करने से, यह सुनिश्चित हो गया कि राज्य की अर्थव्यवस्था और उसके संसाधनों पर से अब उनका बोझ हट जायेगा। सरल, कम खर्चीली और प्रभावी सरकार, ये शब्द एक नारा बन गए।

दुश्मनों द्वारा घेराबंदी और उसके साथ आई तमाम तकलीफ़ों के बावजूद कम्यून ने सभी मेहनतकश महिलाओं और पुरुषों की सुख और सुरक्षा के लिए कई व्यवहारिक क़दम उठाये। जो फैक्ट्रियां बंद हो गयी थीं या फिर जिनके मालिक उन्हें छोड़कर भाग गए थे, उन्हें चलाने के लिए मज़दूरों की सहकारी संस्थाओं (को–ऑपरेटिव) को सौंप दिया गया। फैक्ट्री के मालिकों द्वारा मज़दूरों पर लगाये जाने वाले जुर्माने की व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। गिरवी रखी गई दुकानों को बंद कर दिया गया और बेकरी मज़दूरों के लिए रात की पाली में काम करने के प्रावधान को ख़त्म कर दिया गया। खाली पड़े और वीरान घरों को बेघर लोगों के आवास में बदल दिया गया। घरों के किराये के भुगतान पर कुछ समय के लिए पाबंदी लगा दी गई।

व्यक्तिगत कानूनों के मामले में, कम्यून ने ऐसे प्रगतिशील क़दम उठाये जो सीधे महिलाओं के हित में थे। कानून के सामने किये गए विवाह और तलाक को मान्यता दी गयी। बच्चों के माथे से अवैधता का कलंक मिटा दिया गया और बच्चे विवाहित माता या अविवाहित माता के हों, सभी के साथ एक समान बर्ताव किया गया।

चर्च को राज्य सत्ता से अलग करना, एक बेहद महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी क़दम था। राज्य की ओर से चर्च को मिलने वाले सहयोग और समर्थन को ख़त्म कर दिया गया और चर्च की संपत्ति को राज्य की संपत्ति में तब्दील कर दिया गया। शिक्षा सहित सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों से चर्च की भूमिका को ख़त्म कर दिया गया। धर्म और आस्था को हर एक व्यक्ति के ज़मीर का निजी मामला मान लिया गया।

अंतर्राष्ट्रीयतावाद के असली जज्बे के साथ कम्यून ने अपनी सेना में लड़ रहे दूसरे देशों के लड़ाकू लोगों का स्वागत किया और उनका सम्मान किया। कम्यून ने फ्रांसीसी सरमायदारी अंध–राष्ट्रवाद के प्रतीक विजय स्तंभ को गिरा दिया, जिसका

शेष पृष्ठ 6 पर

बंदरगाहों के निजीकरण के विरोध में कामगार एकता कमेटी ने सभा आयोजित की

बंदरगाहों के निजीकरण के विरोध में कामगार एकता कमेटी ने सोमवार, 1 मार्च, 2021 को एक सभा आयोजित की।

मुम्बई, कोच्ची, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे विविध प्रमुख बंदरगाहों के नेताओं ने इस सभा में भाग लिया। अपने उद्घाटन संबोधन में कामगार एकता कमेटी के सचिव, कामरेड मैथ्यू ने कहा कि बैंक, रेलवे, शिक्षा, तेल क्षेत्र, बीमा, कोयला के निजीकरण के ख़िलाफ़, निजीकरण से संबंधित 2021–22 के बजट के प्रस्तावों के ख़िलाफ़ तथा किसानों के संघर्ष के समर्थन में कामगार एकता कमेटी ने जिन सभाओं की श्रृंखला आयोजित की है, उसने हर एक क्षेत्र का गहराई से अध्ययन करके और विविध क्षेत्रों के नेताओं को तथा कार्यकर्ताओं को एक समान मंच पर लाकर निजीकरण के ख़िलाफ़ आंदोलन को प्रबल बनाया है।

कामरेड मैथ्यू ने सभा के वक्ताओं का परिचय दिया कि – कोच्ची बंदरगाह से ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष का. पी.एम. मोहम्मद हनीफ, चेन्नई बंदरगाह से वॉटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के महासचिव का. नरेंद्र राव, विशाखापट्टनम बंदरगाह से पोर्ट, डॉक एण्ड वॉटरफ्रन्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एटक) के महासचिव का. बी.च. मासेन तथा मुम्बई बंदरगाह से ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) (एच.एम.एस.) के महासचिव का. सुधाकर आर. अपराज शरीक हो रहे हैं।

कामगार एकता कमेटी की तरफ से का. अशोक कुमार ने हिन्दोस्तान के बंदरगाहों की आज की परिस्थिति का विवरण पेश किया और स्पष्ट किया कि कैसे निजीकरण मज़दूर–विरोधी तो है ही और राष्ट्र–विरोधी भी है। सभी सहभागियों ने इस प्रस्तुति की बहुत सराहना की। (देखें – बंदरगाहों के राष्ट्र–विरोधी, मज़दूर–विरोधी निजीकरण का विरोध करें! कामगार एकता कमेटी की प्रस्तुति)

प्रस्तुति के बाद कोच्ची बंदरगाह से शरीक हुए ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष का. पी.एम. मोहम्मद हनीफ तथा चेन्नई बंदरगाह से वॉटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के महासचिव का. नरेंद्र राव के संबोधन हुए।

विशाखापट्टनम बंदरगाह से पोर्ट, डॉक एण्ड वॉटरफ्रन्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एटक) के महासचिव का. बी.च. मासेन ने तथा मुम्बई बंदरगाह से ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन (वर्कर्स) (एच.एम.एस.) के महासचिव का. सुधाकर आर. अपराज ने भी अपनी बातें रखीं। उनका कहना था कि एक ही रास्ता है कि सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सब क्षेत्रों के मज़दूर एकजुट हों।

इसके बाद मंच को सभी के लिये खोला गया इस दौरान अनेक लोगों ने उत्साह से भाग लिया। पोर्ट एण्ड डॉक पेन्शनर्स एसोसिएशन के नेता का. कस्टोडियो मेन्डोन्सा ने आश्वस्त किया कि सेवानिवृत्त मज़दूर भी सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएंगे। ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन के का. डी.के. सर्मा का कहना था कि सरकार द्वारा पूंजीपतियों के पक्ष में बनाई जा रही नीतियों का विरोध करने के लिए मज़दूरों की विश्वव्यापी एकता बनानी चाहिए।

सभा के अंत में सभी ने निश्चय किया कि कामगार एकता कमेटी द्वारा आयोजित श्रृंखला को जारी रखना चाहिए और बिजली वितरण, बी.एस.एन.एल., इस्पात तथा अन्य क्षेत्रों के निजीकरण के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए।

ऑल इंडिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष का. पी.एम. मोहम्मद हनीफ के संबोधन के प्रमुख मुद्दे

बंदरगाह एक जटिल उद्योग है। हिन्दोस्तान की सरकार आज बंदरगाह संबंधित कार्यों का केवल प्रबंधन कर रही है। सरकारी नियंत्रण के प्रमुख बंदरगाह सालाना औसतन 5,000 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमा रहे हैं। परंतु कंटेनरों द्वारा देश में आने–जाने वाला माल अब पूरी तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण में है। माल का परिचालन करने की क्षमता बढ़ जाएगी ऐसा कहकर सरकार निजीकरण का समर्थन कर रही है। लेकिन हमारे पास अभी भी कुल मिलाकर सालाना 150 करोड़ टन का परिचालन करने की क्षमता है जबकि केवल 120 करोड़ टन की क्षमता का ही इस्तेमाल हो रहा है।

पहले तो सारे के सारे माल का परिचालन सरकारी बंदरगाह करते थे। लेकिन अब केवल 55 प्रतिशत का परिचालन "प्रमुख" यानी सरकारी बंदरगाह कर रहे हैं, जबकि उनके पास उच्चतर तकनीकी साधन हैं। अंत में सरकार सब कुछ निजी खिलाड़ियों को हवाले कर देगी। निजी बंदरगाह पहले लोगों को आकर्षित करने के लिए कम दर रखते हैं जबकि प्रमुख बंदरगाहों की दर सरकार निर्धारित करती है।

प्रमुख बंदरगाहों के पास 2.7 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि है, जिसे इजारेदार पूंजीपति हथियाना चाहते हैं।

सरकारी बंदरगाहों में मज़दूरों की संख्या बहुत घट गई है। 1993 में 1,13,000 मज़दूर हुआ करते थे, 1997 में 95,000 और अभी मात्र 24,000 हैं। 2001 से 2010 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों से सरकार को 56,000 करोड़ रुपये से ज्यादा सीमा कर द्वारा मिला था, जबकि निजी बंदरगाहों से केवल 2,000 करोड़ रुपये मिला था। सरकारी बंदरगाह आयकर भी भरते हैं। दुबई स्थित बहुराष्ट्रीय कम्पनी, डी.पी. वर्ल्ड देश में 5 टर्मिनलों का संचालन करती है। 4 टर्मिनलों का मुनाफ़ा वह चेन्नई बंदरगाह के नुकसान के साथ जोड़कर आयकर देती ही नहीं है।

देश में 5 बंदरगाह हैं जो रक्षा सेवा के माल का परिचालन करते हैं। उनके निजीकरण से देश की सुरक्षा पर बुरा असर होगा।

निजीकरण की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी नहीं है। जो अधिकारी इन निजी खिलाड़ियों के साथ सौदा करते हैं, उन्हें बाद में उन्हीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नौकरियां मिलती हैं! इसकी एक मिसाल है जी.जे. राव। वे पहले प्रमुख बंदरगाहों के उपाध्यक्ष थे, अभी वे अडानी की बंदरगाह के सीईओ यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी बन गये हैं।

समुद्री विभागों में 20 से अधिक साल तक जिन जहाजों ने सेवा दी है उनको बेकार घोषित करना पड़ता है, जबकि अगर ठीक तरीके से उन्हें सूखे बंदरगाह पर लाया जाए तो उनका 5–10 साल और इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन उनकी जगह पर सरकार निजी जहाजों को लाना चाहती है।

1,30,000 सेवानिवृत्त तथा प्रमुख बंदरगाहों में कार्यरत 25,000 मज़दूरों की पेंशन के भुगतान की ज़िम्मेदारी सरकार की है। निजीकरण का इस पर प्रभाव हो सकता है।

प्रमुख बंदरगाहों में 1 लाख पद रिक्त हैं। उनमें अगर भर्ती की जाए तो दसों–हजारों नौजवानों को नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन होने वाले निजीकरण की वजह से उन्हें भरा नहीं जा रहा है।

निजीकरण की क़ीमत हिन्दोस्तानी लोग चुकायेंगे, सिर्फ इजारेदारों को फ़ायदा होगा।

सरकार की निजीकरण की योजनाओं को रोकने के लिए हमें रेलवे तथा परिवहन के अन्य क्षेत्रों के सभी मज़दूरों को लामबंध करना होगा।

वॉटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू) के महासचिव का. नरेंद्र राव के संबोधन के प्रमुख मुद्दे

2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उन्हें फिक्की (बड़े पूंजीपतियों के संगठन) ने आमंत्रित किया था। एक वार्ताकार को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि अपने देश के सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने तो आखिर मरने के लिए ही जन्म लिया है। हम या तो उन्हें बंद कर सकते हैं या उनका निजीकरण कर सकते हैं। यह नीति 1991 से कांग्रेस तथा अन्य सरकारों ने भी लागू की है।

ऑक्सफेम के एक रिसर्च पेपर ने स्पष्ट किया है कि कैसे हिन्दोस्तान में असमानता इतनी बढ़ी है कि उपनिवेशवाद के काल के बाद इतनी कभी नहीं थी। मार्च 2020 के बाद हिन्दोस्तान के 100 अमीरतम लोगों के पास जो ज्यादा धन आया है, वह सबसे गरीबतम 13.8 करोड़ लोगों में से हर एक व्यक्ति को 94,045 रुपये देने के लिए काफी है! पिछले साल देश के अमीरतम व्यक्तियों को प्रति सेकेंड जितना धन मिला, उतना कमाने के लिए हिन्दोस्तान के अकुशल मज़दूर को 3 वर्ष लगेंगे। यह सरकार की निजीकरण की नीतियों का अंजाम है।

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि माल के परिचालन का बोझ हल्का करने के लिए वे सात बंदरगाहों का निजीकरण करेंगे। लेकिन माल का परिचालन करना तो हमारा मुख्य काम है, तो वह बोझ कैसे हो सकता है?

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि माल के परिचालन का बोझ हल्का करने के लिए वे सात बंदरगाहों का निजीकरण करेंगे। लेकिन माल का परिचालन करना तो हमारा मुख्य काम है, तो वह बोझ कैसे हो सकता है?

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम को महामारी के दौरान, 23 सितम्बर, 2020 को लोकसभा में तथा 10 फरवरी, 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया। अब 1 अप्रैल, 2021 को प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट को प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण में तब्दील किया जाएगा। बंदरगाहों के मज़दूरों की पांच फेडरेशन हैं। उन सबने कानून की कई धाराओं के ख़िलाफ़ आवाज़ उठायी है। हमने संसदीय स्थायी समिति के सामने अपनी आपत्तियों को प्रकट किया है और उसने उनको मान्य किया है।

परंतु कानून पारित करते वक्त सरकार ने स्थायी संसदीय समिति द्वारा सूचित की गई हर एक सिफारिश को नजरंदाज़ कर दिया गया।

दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड (डी.पी.डब्ल्यू.) अपना नाम बदलकर हिन्दोस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड करना चाहती थी। यह प्रस्ताव कोच्ची ट्रस्ट बोर्ड के सामने लाया गया। उस वक्त कोच्ची पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पॉल एन्थनी ने इसका विरोध किया था और हम मज़दूरों के प्रतिनिधियों ने भी इसका विरोध किया था। डी.पी.डब्ल्यू. प्रधानमंत्री के पास गया। मोदी दुबई के शासकों के साथ मिले और उसके बाद मंत्रीमंडल ने निर्णय लिया। नौवहन मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया जिसके ज़रिये मंत्रालय ने डी.पी.डब्ल्यू. की याचिका को मान्य करने का आदेश पोर्ट को दिया। उसके बाद कोई बोर्ड उसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकता है क्योंकि अब वह नीतिगत बन गया है। इसके बाद उसका नाम हिन्दोस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बन गया। इससे बहुत स्पष्ट है कि बंदरगाहों का निजीकरण करना सरकार का इरादा है।

दो नये कानून बनने जा रहे हैं। व्यापारी नौवहन कानून 1958 को सुधार कर व्यापारी नौवहन अधिनियम 2020 बनाया गया है। उसी प्रकार भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 अब महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 बन गया है।

व्यापारी नौवहन कानून के अनुसार जो हिन्दोस्तानी मालिक या कॉर्पोरेट कम्पनी जहाज खरीदती है उसे जहाज भारतीय नौवहन रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता है। लेकिन अब व्यापार नौवहन अधिनियम के मुताबिक कोई भी विदेशी खिलाड़ी जहाज खरीद सकता है और हिन्दोस्तान में उसका पंजीकरण करके वह हिन्दोस्तान के समुद्रों में उसे चला सकता है। यह बहुत ख़तरनाक है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त कम्पनियां हिन्दोस्तानी कॉर्पोरेटों के साथ हाथों में हाथ मिलाकर काम करती हैं।

भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत 9 तटवर्ती राज्यों के छोटे बंदरगाह आते हैं। हर तटवर्ती राज्य में छोट बंदरगाह हैं और गुजरात में 87 छोटे बंदरगाह हैं। ये राज्य सरकारों के नियंत्रण में हैं। समुद्री बंदरगाह नियामक प्राधिकरण के नाम पर भारत सरकार उन पर हावी हो जाएगी। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 के मुताबिक सब छोटे बंदरगाहों को केंद्र सरकार अपने हाथों में ले लेगी।

सरकार की निजीकरण की मुहिम को रोकने का एक ही उपाय है कि मज़दूरों को संगठित करके अपना संघर्ष तेज़ करें।

http://hindi.cgpi.org/20657

बंदरगाहों के राष्ट्र-विरोधी, मज़दूर-विरोधी निजीकरण का विरोध करें!

कामगार एकता कमेटी की प्रस्तुति

बंदरगाहों के निजीकरण की दिशा में फरवरी 2021 में दो बड़े क़दम उठाये गये थे। 1 फरवरी, 2021 को अपने बजट के भाषण में वित्त मंत्री ने घोषित किया कि "अपनी परिचालन सेवाओं का प्रबंधन खुद करने की बजाय "प्रमुख" बंदरगाह अब एक ऐसा मॉडल अपनायेंगे जहां एक निजी सांझेदार उनके लिए प्रबंधन करेगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2021–22 में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की सात परियोजनायें प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पी.पी.पी. (सार्वजनिक निजी सांझेदारी) मॉडल पर पेश की जायेंगी"। इसके तुरंत बाद 10 फरवरी, 2021 को राज्य सभा ने "महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020" पारित किया। (हिन्दोस्तान के बंदरगाहों के क्षेत्र के बारे में बॉक्स–1 देखें)

बंदरगाहों का निजीकरण 1997 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुआ था। महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जे.एन.पी.टी.) में नेहावा शेवा इंटरनैशनल कंटेनर टर्मिनल (एन.एस.आई.सी.टी.) है जो डी.पी. वर्ल्ड का पी.पी.पी. के आधार पर विकसित किया हुआ पहला टर्मिनल है। डी.पी. वर्ल्ड इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में से एक है। उसी समय बंदरगाहों के लिए स्वचलित मार्ग से सौ प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश को भी मंजूर किया गया था। सन 2000 से अब तक 163 लाख डॉलरों का विदेशी निवेश हुआ है। निजी बंदरगाहों, देश के अंदर के जलमार्गों तथा देशांतर्गत बंदरगाहों को विकसित करने के लिए हिन्दोस्तानी तथा विदेशी पूंजीपतियों को 10 सालों के लिए करों से छूट भी दी गई थी।

केंद्र में एक के बाद एक आने वाली सरकारों ने बंदरगाहों के निजीकरण के लिए दो रणनीतियां अपनायी हैं। पहले तो वे अनेक तरीक़ों से तथाकथित "छोटे" निजी बंदरगाहों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार के स्थानों को वे प्रोत्साहित करते हैं ताकि नजदीक के "प्रमुख" बंदरगाहों के मुक़ाबले में इन छोटे बंदरगाहों को फलने–फूलने का मौका मिले। उदाहरण के तौर पर, निजी मालिकी के मूंदरा, दिघी तथा विझिंजम को क्रमशः सरकारी मालिकी वाले कांडला, जे.एन.पी.टी. तथा कोची बंदरगाहों के मुकाबले प्रोत्साहन दिया गया।

दूसरा तरीका है कि सरकारी बंदरगाहों पर जहाजों के लिये लंगर डालकर खड़े होने की जो लाभदायक जगहें हैं उन्हें निजी संचालकों के हवाले कर दिया जाये। इससे जल्द ही सरकार की मालिकी के बंदरगाहों में जहाजों के लिये लंगर डालकर खड़े होने वाली सिर्फ अलाभदायक जगहें ही रह जायेंगी। इस तथ्य का इस्तेमाल करके सरकार बंदरगाहों को ही बेच देगी। प्रमुख बंदरगाहों पर ऐसी 240 जगहें हैं जहां जहाज लंगर डालकर खड़े होते हैं जिन में से फिलहाल 69, यानी 28 प्रतिशत को पी.पी.पी. मॉडल (सार्वजनिक निजी साझेदारी) तहत चलाया जा रहा है।

इस परिप्रेक्ष्य में हमें याद रखना होगा कि विविध सरकारों ने पी.पी.पी. मॉडल को हमेशा इस तरह चलाया है कि सरकार सब ख़तरे तथा नुकसान को खुद झेलती है जबकि निजी मालिक मुनाफ़े कमाते हैं। हमें यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि इसका अप्रत्यक्ष परिणाम आम लोगों पर पड़ता है क्योंकि सरकार को पैसा लोगों से ही करों के माध्यम से मिलता है। अधिकतम कमाई अप्रत्यक्ष करों से होती है जैसे कि जी.एस.टी., चुंगी, आदि। ग़रीब से ग़रीब लोग भी अप्रत्यक्ष कर देते हैं जब भी वे बाज़ार से अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। अतः, पी.पी.पी. मॉडल मज़दूरों के पैसों को अति अमीर इजारेदारों के हाथों में देने के ज़रिये के अलावा और कुछ नहीं है।

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 में निजीकरण को और बढ़ावा दिया गया है। 23 सितम्बर, 2020 को लोकसभा ने तथा 10 फरवरी, 2021 को राज्यसभा ने इस अधिनियम को पारित किया। यह मई 2011 के विश्व बैंक की रिपोर्ट की सिफारिशों पर आधारित है। यह नया बंदरगाह कानून माल ढोनेवाले जहाजों के लंगर डालकर खड़े होने की क्रियाशील जगहों के निजीकरण के लिए दरवाज़े पूरी तरह खोल देगा। सरकार की मालिकी में 'ट्रस्ट' बतौर चलाये जा रहे 12 में से 11 बंदरगाहों को अब 'प्राधिकरणों' में तब्दील किया जाएगा। महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 के तहत प्रस्तावित 'बंदरगाह प्राधिकारण' महज एक ज़मीनदार की भूमिका निभाएगा। इस मॉडल में मालिकी सरकार की ही रहेगी जबकि निजी कंपनियां बंदरगाहों का परिचालन करेगी। ज़मीनदार बंदरगाह को निजी कंपनी की कमाई से एक हिस्सा मिलेगा। (महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 के विवरण के लिए बॉक्स–2 को देखें।)

बंदरगाहों के लिए ज़मीनदार मॉडल निजीकरण का एक और ज़रिया है। भूमि अधिग्रहण सहित बंदरगाह निर्माण के लिए सरकार निवेश करेगी। निर्माण होने के बाद मुनाफ़ा कमाने के लिए बंदरगाहों को पूंजीपतियों के हाथों सौंप दिया जाएगा।

बंदरगाह, नौपरिवहन तथा जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविया ने इस साल फरवरी में, इस अधिनियम का समर्थन करते हुए एक झूठा ऐलान किया। उन्होंने दावा किया कि महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम–2020 का इरादा 12 प्रमुख बंदरगाहों का निजीकरण करना नहीं है, बल्कि उसका लक्ष्य "निजी बंदरगाहों के साथ स्पर्धा करने के लिए इन बंदरगाहों को स्वायत्ता प्रदान करना तथा उनके निर्णय लेने की ताक़त को बढ़ाना है"।

कानून बनाने से पहले ही निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। राज्यसभा में अधिनियम पारित होने से पहले ही मंत्री ने सभी प्रमुख बंदरगाहों को आदेश दिए थे कि "नये तथा मौजूदा सभी टर्मिनलों के लिये पी.पी.पी. या ज़मीनदार मॉडल की योजना बनायी जाए"।

इस आदेश के अनुसरण में, जे.एन.पी.टी. ने खुद चलाए जाने वाले कंटेनर टर्मिनल का निजीकरण करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट (एन.एम.पी.टी.) ने तेल तथा एल.पी.जी. उतारने वाले तेल बंदरगाह पर जहाजों के लंगर डालकर खड़े होने की जगह (बर्थ) नंबर–9 का परिचालन, रखरखाव तथा क्रय–विक्रय के आधार पर निजीकरण के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।

जे.एन.पी.टी. में 1,430 मज़दूर हैं। डर है कि निजीकरण के होते ही ये सभी अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। आसपास रहने वाले 4,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपनी रोज़ी–रोटी के लिए जे.एन.पी.टी. पर निर्भर हैं।

35–40 साल पहले जे.एन.पी.टी. के लिए जिन्होंने अपनी भूमि दी थी, वे ग्रामवासी भी मज़दूरों का समर्थन कर रहे हैं। जे.एन.पी.टी. के पास 8,000 एकड़ ज़मीन है। ग्रामवासियों के नेता दिनेश पाटिल का कहना है कि "सरकार ने आश्वासन दिया था कि हर प्रभावित घर से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी और अपनी दी हुई ज़मीन के बदले उन्हें दूसरी जगह पर 12.5 प्रतिशत ज़मीन दी जाएगी। 2,000 से भी अधिक ऐसे परिवार हैं जिन्हें यह सब अभी तक नहीं मिला है। निजीकरण से यह परिस्थिति और जटिल बन जाएगी"।

मज़दूर जानते हैं कि बंदरगाहों का निजीकरण उनके हितों के ख़िलाफ़ है और वे इसके ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नौकरियां खोने का उनका डर जायज़ है, यह इस बात से सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित बंदरगाहों पर 2013 में नियमित मज़दूरों की संख्या 51,000

शेष पृष्ठ 5 पर

बॉक्स–2 : महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020

महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2020 के तहत चेन्नई, कोच्ची, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, कांडला, कोलकाता, मुम्बई, न्यू मैंगलोर, मड़गांव, पारादीप, वी.ओ. चिदम्बरनार तथा विशाखापट्टनम के प्रमुख बंदरगाह आएंगे। कानून बोर्ड को इजाजत देता है कि प्रमुख बंदरगाहों के विकास के लिए वह जैसे योग्य मानता है, वैसे ही अपनी संपत्ति तथा निधि का इस्तेमाल करे। वर्तमान में 1963 के कानून के तहत स्थापित "प्रमुख बंदरगाहों के लिए शुल्क प्राधिकरण" (टैरिफ ऑथोरिटी फॉर मेजर पोर्ट्स) बंदरगाह में उपलब्ध संपत्ति तथा सेवाओं के इस्तेमाल के लिए दरों को निर्धारित करता है। अब नये कानून के तहत बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त कमेटी दर को निर्धारित करेगी। इस कानून के तहत बोर्ड पूंजी या काम के खर्च के लिए इनमें से किसी से भी आवश्यक कर्ज़ ले सकता है : (1) हिन्दोस्तान के अंदर के किसी भी निर्धारित बैंक या (2) हिन्दोस्तान के बाहर के किसी भी वित्त संस्थान।

अधिनियम में दर्ज़ की गयी परिभाषा के मुताबिक पी.पी.पी. परियोजनायें वे परियोजनायें हैं जो बोर्ड के साथ रियायत अनुबंध द्वारा चलाई जा रही हैं। ऐसी परियोजनाओं के लिए बोर्ड को इजाज़त है कि शुरुआती बोली प्रक्रिया के लिए शुल्क निर्धारित करे। नियुक्त किये हुए रियायतग्राही को बाज़ार की परिस्थिति तथा सूचित की हुई और परिस्थिति के आधार पर प्रत्यक्ष शुल्क निर्धारित करने की आज़ादी होगी।

बॉक्स–1 : हिन्दोस्तान का बंदरगाह क्षेत्र

विदेश में व्यापार के लिए बंदरगाहों का रणनैतिक महत्व होता है। हिन्दोस्तान के विदेश व्यापार का घनफल के हिसाब से 95 प्रतिशत तथा वजन के हिसाब से 70 प्रतिशत माल बंदरगाहों से ही आता–जाता है। विदेश व्यापार देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का हिस्सा तक़रीबन 20 प्रतिशत है।

अपने देश के 7,500 किलोमीटर की लम्बाई वाली समुद्री सीमा पर 12 "प्रमुख" तथा तक़रीबन 200 "छोटे" बंदरगाह हैं। 2019–20 में उन सबके द्वारा कुल 132 करोड़ टन के माल का अवागमन हुआ था।

सच तो यह है कि बंदरगाहों के लिए "प्रमुख" तथा "छोटे" विशेषणों का जो प्रयोग किया जाता है वह काफी भ्रामक है, क्योंकि यह माल की मात्रा या मालिकी पर आधारित नहीं है। सभी 12 "प्रमुख" बंदरगाह केंद्र सरकार की मालिकी के हैं जिनमें 11 पोर्ट ट्रस्ट कानून–1963 के तहत आते हैं और एक का कंपनी बतौर निर्माण किया गया था। 200 "छोटे" बंदरगाहों में सिर्फ 62 पर माल आता–जाता है और अधिकांश निजी मालिकी के हैं। चकित करने वाली बात यह है कि "छोटे" बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह जो मूंदरा है, वह माल के हिसाब से कई सारे "प्रमुख" बंदरगाहों से काफी बड़ा है!

ऊपर का चार्ट दिखाता है कि कैसे 1995 से 2016 के दरम्यान हिन्दोस्तानी बंदरगाहों से आने–जाने वाले

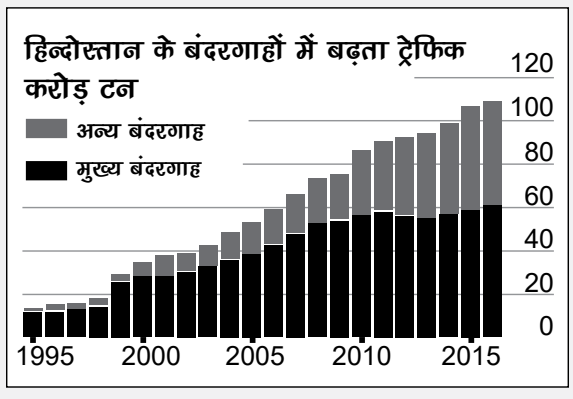

माल की मात्रा कितनी तेज़ी से बढ़ी है। यह भी स्पष्ट है कि "छोटे" बंदरगाहों की वृद्धि दर सरकारी मालिकी के "प्रमुख" बंदरगाहों के मुकाबले बहुत ज्यादा है। 1980 में "छोटे" बंदरगाहों पर सिर्फ 10 प्रतिशत माल आता जाता था, जबकि 2019–20 में वह तकरीबन आधा, यानी कि 47 प्रतिशत है। सर्वसामान्य माल का परिवहन अब ज्यादा से ज्यादा कंटेनरों द्वारा होता है। जहाजों को लंगर डालकर खड़े होने के लिये हिन्दोस्तान में कुल मिलाकर 34 जगहें (बर्थ) हैं, जो कंटेनर से आने वाले माल के लिए हैं। जे.एन.पी.टी. सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और उस पर 11 बर्थ हैं। जिसमें से सिर्फ तीन को पार्ट ट्रस्ट चलाता है और बाकी सब निजी संचालकों के हाथों में हैं। जे.एन.पी.टी. में तीन बड़े अंतर्राष्ट्रीय परिचालक, ए.पी.एम. टर्मिनल्स, डी.पी. वर्ल्ड तथा पी.एस.ए. इंटरनेशनल कार्यरत हैं।

लेबर कोड के विरोध में प्रदर्शन

दिल्ली की संयुक्त ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने 1 अप्रैल, 2021 को जंतर–मंतर पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये चार लेबर कोडों को रद्द करने की मांग को लेकर किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य आयोजक थे – सीटू, एटक, मज़दूर एकता कमेटी, एच.एम.एस., इंटक, यू.टी.यू.सी., ए.आई.सी.सी.टी.यू., एल.पी.एफ., सेवा, ए.आई.यू.टी.यू.सी., आई.सी.टी.यू., टी.यू.सी.सी. व अन्य।

प्रदर्शनकारी मज़दूरों के हाथों में बैनर और प्लाकार्ड थे, जिन पर चारों लेबर कोडों को रद्द करने और मज़दूरों पर बढ़ते हमलों को रोकने की मांग के नारे लिखे हुए थे। "श्रम कानूनों का हनन करना बंद करो!", "चारों लेबर कोडों को रद्द करो!", "पूंजीवादी घरानों की तिजौरियां भरना बंद करो!", "सभी के लिए सुरक्षित रोज़गार और खुशहाली सुनिश्चित करो!", "मज़दूरों का शोषण–दमन नहीं चलेगा!", "कारपोरेट घरानों के हित में मज़दूरों का शोषण तेज़ करना बंद करो!", "अपना हक़ लेकर रहेंगे!", "मज़दूर एकता ज़िन्दाबाद!", "इंक़लाब ज़िन्दाबाद!", इन नारों को पूरे जोश के साथ बुलंद करते हुए, मज़दूरों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।

सहभागी संगठनों के वक्ताओं ने एक आवाज़ में केन्द्र सरकार द्वारा पास किए

गये लेबर कोडों की कड़ी निन्दा की। उन्होंने समझाया कि इन लेबर कोडों को लागू करके केन्द्र सरकार मज़दूरों के उन सभी मौलिक अधिकारों को छीन रही है, जिनके लिए हमने मिलकर इतने सालों तक कठिन संघर्ष किए हैं।

'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' व मौजूदा श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम पर सरकार ने पूंजीपतियों के आगे घुटने टेकने का काम किया है। फिक्स टर्म रोज़गार लाकर हायर एन्ड फायर की अनुमति दिया जाना, काम के घंटे बढ़ाए जाने, यूनियन गठन को जटिल बनाये जाने, हड़ताल के अधिकार को कमज़ोर किये जाने, निरीक्षण प्रणाली को कमजोर बनाये जाने जैसे प्रस्ताव, कुल मिलाकर मज़दूरों के लिये ये चार लेबर कोड गुलामी के दस्तावेज हैं जो अलोकतांत्रिक तरीके से लाये गए हैं।

यह बड़े–बड़े देशी–विदेशी कारपोरेट घरानों के मुनाफ़ों को तेज़ी से बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इसके साथ–साथ, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों व सेवाओं को और इस देश के श्रमिकों के जल, जगल, ज़मीन और क़ीमती संसाधनों को सस्ते से सस्ते दाम पर इन देशी–विदेशी कारपोरेट घरानों को खुल्लम–खुल्ला बेचा जा रहा है। आज दिल्ली की सीमाओं पर हमारे लाखों किसान भाई–बहन कारपोरेट घरानों के हित के लिए लाये गये किसान–विरोधी कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर संघर्ष पर डटे हुये हैं। हमारा संघर्ष एक है। हमारा संघर्ष इजारेदार पूंजीवादी घरानों के हित में सरकार द्वारा लागू की जा रही, इन सरासर मज़दूर–विरोधी, किसान–विरोधी और राष्ट्र–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ है।

वक्ताओं ने बड़े–बड़े इजारेदार पूंजीवादी घरानों के तय किए गये कार्यक्रम को लागू करने वाली सरकारों की कड़ी निन्दा की। यह बात स्पष्ट रखी गई कि हमें एकजुट होकर, इजारेदार पूंजीपतियों की इस हुकूमत को ही ख़त्म करना होगा और मज़दूर–किसान का राज स्थापित करना होगा। ऐसा करके ही हम मज़दूरों के बढ़ते शोषण–दमन को ख़त्म कर सकते हैं।

सभा को संबोधित करने वालों में थे – सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन, एच.एम.एस. के महासचिव हरभजन सिंह सिद्धू, एटक के दिल्ली प्रदेश महामंत्री मुकेश कश्यप, इंटक के उपाध्यक्ष अशोक सिंह, मज़दूर एकता कमेटी से लोकेश कुमार, यू.टी.यू.सी. दिल्ली प्रदेश सचिव शत्रुजीत, ए.आई.सी.सी.टी.यू. के महासचिव राजीव डिमरी, ए.आई.यू.टी.यू.सी. के दिल्ली प्रदेश सचिव मनैजर चौरसिया और आई.सी.टी.यू. के उपाध्यक्ष उदय नारायण।

http://hindi.cgpi.org/20671

कामगार एकता कमेटी की प्रस्तुति

पृष्ठ 4 का शेष

तक गिर गई जबकि एक दशक पहले यह संख्या तकरीबन 100,000 थी। जो 2019 में घटकर 29,000 ही रह गई थी।

मज़दूरों तथा लोगों के विरोध के बावजूद पिछले दो दशकों से बंदरगाहों का निजीकरण होता रहा है। हिन्दोस्तानी पूंजीपति तथा बंदरगाहों के बहुराष्ट्रीय संचालक, दोनों हिन्दोस्तानी बंदरगाहों को अपने हाथों में ले रहे हैं। इस क्षेत्र में अडानी पोर्ट्स एक बड़ा खिलाड़ी बन चुका है। हिन्दोस्तान के समुद्री किनारों पर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जगहों पर स्थित 10 बंदरगाहों को वह चलाता है। उसने और दो बंदरगाहों का अधिग्रहण कर लिया है। उसका नवीनतम अधिग्रहण महाराष्ट्र के दिघि बंदरगाह का है जिसे 10,000 करोड़ रुपये के निवेश से सरकारी मालिकी के जे.एन.पी.टी. के निजी विकल्प बतौर विकसित किया जायेगा। गुजरात के कच्छ में स्थित उसका मूंदरा बंदरगाह हिन्दोस्तान का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। वह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज़) भी है। 2019–20 में वहां से 13.9 करोड़ टन माल का अवागमन हुआ था। (हिन्दोस्तान के निजी बंदरगाहों के बारे में बॉक्स–3 देखें।)

यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि देश के हवाई अड्डों का भी सबसे बड़ा संचालक अडानी है। परिणामस्वरूप समुद्री तथा हवाई, दोनों मार्गों से माल के आने–जाने पर एक निजी पूंजीपति हावी होगा।

दुनिया के बंदरगाहों के पांच सबसे बड़े परिचालकों में से तीन, सिंगापुर का पी.एस.ए., दुबई का डी.पी. वर्ल्ड तथा हॉलेंड का ए.पी.एम. टर्मिनल्स आज हिन्दोस्तान में भी कार्यरत हैं। मूंदरा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के 100 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण पी. एण्ड ओ. पोर्ट्स ने कर लिया है। आज हिन्दोस्तान के सबसे बड़े कंटेनर टर्मिनलों में से मूंदरा का दूसरा नम्बर है। गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड पी.पी.पी. मॉडल पर है जिसके 43.01 प्रतिशत शेयर ए.पी.एम. टर्मिनल्स के पास हैं। आज इस बंदरगाह की कंटेनर क्षमता 13.5 लाख टी.ई.यू., 50 लाख टन सूखा माल तथा 20 लाख टन तरल माल की क्षमता है। देश में सबसे बड़ा बंदरगाह संचालक डी.पी. वर्ल्ड है जो इस समय मूंदरा, जे.एन.पी.टी., कोच्ची, चेन्नई, विशाखापट्टनम तथा कुल्पी बंदरगाहों पर परिचलन करता है।

इंडियन प्राइवेट पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स एसोसिएशन के महासचिव शशांक कुलकर्णी ने स्पष्टता से घोषित किया है कि "भविष्य में प्रमुख बंदरगाहों के टर्मिनल्स को निजी खिलाड़ी ही चलाएंगे"।

बंदरगाहों का निजीकरण हिन्दोस्तानी तथा विदेशी इजारेदारों का कार्यक्रम है। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियंत्रण करना चाहते हैं। वे उसे मुनाफ़ा कमाने के एक मार्ग के रूप में देखते हैं जहां निवेश मुख्यतः सार्वजनिक धन से किया जाएगा। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता में आने वाली हर पार्टी ने इस कार्यक्रम को लागू किया है। इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि बंदरगाहों के मज़दूर सार्वजनिक क्षेत्र के और मज़दूरों के साथ एकजुट होकर इसका विरोध करें।

http://hindi.cgpi.org/20653

बॉक्स–3 : हिन्दोस्तान के निजी बंदरगाह

हिन्दोस्तान के निजी बंदरगाहों का केंद्र गुजरात है। गुजरात के समुद्री किनारे पर जगह–जगह बंदरगाह हैं। इनमें सरकारी मालिकी का कांडला बंदरगाह है तथा निजी मालिकी के मूंदरा, पिपावाव, दाहेज तथा हजीरा का समावेश है। मूंदरा माल का परिचलन करने वाला देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश में चलने वाले छोटे बंदरगाहों में से 70 प्रतिशत माल का आवागमन गुजरात से होता है। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, जिसमें 16 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र जिसमें 7 प्रतिशत माल आता–जाता है। 2017–18 में समुद्री मार्ग से आने वाले माल का तकरीबन 93 प्रतिशत हिस्सा इन तीनों राज्यों से था।

सार्वजनिक बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाकर निजी बंदरगाह फले–फूले हैं। 1998–99 में सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कांडला से 4.06 करोड़ टन के माल का परिचालन होता था, जबकि गुजरात के सभी छोटे तथा मध्यम बंदरगाहों में कुल मिलाकर सिर्फ 2.51 करोड़ टन माल का परिचलान होता था। वित्त वर्ष 2014 में गुजरात के सभी छोटे तथा मध्यम बंदरगाहों ने कुल मिलाकर कांडला के चौगुना माल परिचालित किया। आज यातायात के आधार पर अडानी का मूंदरा बंदरगाह

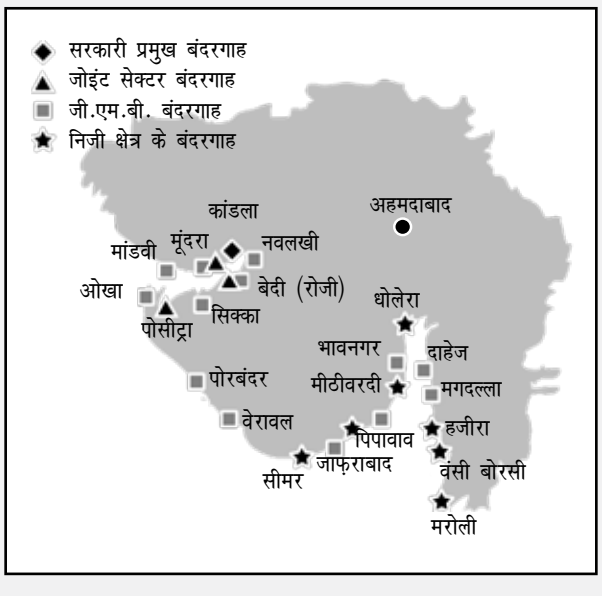

गुजरात के विभिन्न प्रकार के बंदरगाह

सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल है गेटवे टर्मिनल इंडिया का, जो खुद डेनिश नौपरिवहन समूह ए.पी. मोलर–मेअर्स्क ग्रुप ए/एस का भाग है। ये दोनों निजी क्षेत्र में हैं।

मुंदरा बंदरगाह अपनी कंटेनर परिचालन क्षमता दुगुना बनाने की प्रक्रिया में है। हिन्दोस्तान के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह, जे.एन.पी.टी. से स्पर्धा करने के लिए वह आक्रामक तरीक़े से जगह बना रहा है। जे.एन.पी.टी. से मुंदरा केवल 300 समुद्री मील की दूरी पर है। सार्वजनिक क्षेत्र के चेन्नई बंदरगाह को कृष्णपट्टनम, गंगावरम तथा कट्टूपल्ली जैसे अनेक नये निजी बंदरगाहों के साथ लगातार बढ़ती हुई स्पर्धा करनी पड़ रही है।

अडानी पोर्ट्स एण्ड स्पेशल इकानामिक ज़ोन लिमिटेड 1998 में आरंभ हुआ। अब यह निजी कंपनी हिन्दोस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह निर्माणकर्ता तथा परिचालक बन चुकी है। वह हिन्दोस्तान के सबसे बड़े व्यवसायिक बंदरगाह मुंदरा का परिचालन करता है और वित्त वर्ष 2020 में हिन्दोस्तान के 15 प्रतिशत माल का आवागमन उससे हुआ है। उसने वित्त वर्ष 2020 में 11,873 करोड़ रुपये (1.68 अरब अमरीकी डालर) कमाये हैं। उस वर्ष माल का परिचालन करने की उसकी क्षमता 41 करोड़ मिट्रिक टन थी और उसने वर्ष 2019 में 20.8 करोड़ मिट्रिक टन माल का परिचालन किया था।

हवाई अड्डों के निजीकरण के ख़िलाफ़ मज़दूरों का प्रदर्शन

जॉइंट फोरम ऑफ यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ ए.ए.आई. और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एम्पलाइज़ यूनियन (ए.ए.ई.यू.) ने 31 मार्च, 2021 को देशव्यापी औद्योगिक हड़ताल का आह्वान दिया है। इस औद्योगिक हड़ताल के ज़रिये, सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों को इजारेदार पूंजीपतियों को चलाने हेतु दिए जाने के फ़ैसले का विरोध जताया गया।

यूनियनों के इस आह्वान को लागू करते हुए देशभर के 123 हवाई अड्डों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किये गए।

31 मार्च को चेन्नई में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने हवाई अड्डे पर धरना प्रदर्शन आयोजित किया।

चेन्नई हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी बड़ी संख्या में प्रशासकीय भवन के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने धरना प्रदर्शन आयोजित किया। ए.ए.आई. जवाइंट फोरम के संयोजक और ए.ए.ई.यू. के क्षेत्रीय सचिव कामरेड डॉक्टर एल. जॉर्ज ने सभी कर्मचारियों का स्वागत किया और धरना प्रदर्शन के उद्देश्यों के बारे में बताया। कामरेड गुहन, अध्यक्ष, ए.ए.ई.यू. – दक्षिण क्षेत्रीय कामरेड भास्करन, संयोजक ए.ए.आई, जॉइंट फोरम – दक्षिण क्षेत्रीय कामरेड सुबरायण, सहायक महासचिव, ए.ए.ई.यू. और वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के कामरेड भास्कर ने धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों को संबोधित किया।

सभी वक्ताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ए.ए.आई. के कर्मचारियों और यात्रियों द्वारा निजीकरण के जबरदस्त विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार हवाई अड्डों का निजीकरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों का धरना

करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 6 और हवाई अड्डों को इजारेदार पूंजीपतियों के हवाले करने की घोषणा की और बताया कि जल्दी ही अन्य हवाई अड्डों के साथ भी ऐसा किया जायेगा। ए.ए.आई. के कर्मचारी शुरुआत से ही हवाई अड्डों के निजीकरण का विरोध करते आये हैं। वक्ताओं ने बताया कि ये भारी मुनाफ़ा देने वाले हवाई अड्डे, लोगों के खून–पसीने की कमाई से खड़े किये गए हैं। ये हिन्दोस्तान के लोगों की संपत्ति हैं और सरकार को इन्हें पूंजीपतियों के हाथों में देने का कोई अधिकार नहीं है। हवाई अड्डों के निजीकरण से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के रोज़गार की सुरक्षा और उनके अधिकार ख़तरे में पड़ जायेंगे। वक्ताओं ने बताया कि सरकार के तमाम खोखले वादों के बावजूद मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलूरु के हवाई अड्डों का पहले से ही निजीकरण किया जा चुका है। हवाई अड्डों के अधिकारी तमाम हवाई सेवाओं को एक–दूसरे से अलग करते हुए उनका निजीकरण कर रहे हैं और इन सेवाओं को प्रदान करने का काम अन्य कंपनियों को सौंप रहे हैं।

वक्ताओं ने आगे बताया कि हवाई अड्डों के निजीकरण के चलते हवाई अड्डा उपयोगकर्ता शुल्क (यूज़र फी) और विकास शुल्क (डेवलपमेंट चार्ज) में भारी बढ़ोतरी की गयी है। ऐसा करने से हवाई टिकट का दाम बढ़ गया है, जिसकी वसूली यात्रियों से की जाएगी और इससे इन हवाई अड्डों को चलाने वाले पूंजीपतियों को भारी मुनाफ़ा होने वाला है। उन्होंने आगे बताया कि सत्ता में बैठे हुक्मरान, दिन दहाड़े देश के लोगों की संपत्ति को लूट रहे हैं और उन्हें पूंजीपतियों को सौंप रहे हैं।

यूनियन के नेताओं ने बताया की चेन्नई हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने इससे पहले भी सरकार द्वारा हवाई अड्डों के निजीकरण की ओर बढ़ते क़दमों का बार–बार सख़्त विरोध किया है। इस विरोध के चलते हम सरकार को इन संपत्तियों को लालची पूंजीपतियों के हाथों बेचे जाने से रोक पाए हैं। धरना प्रदर्शन पर बैठे कर्मचारियों ने संघर्ष के नारे लगाये – "एयरपोर्ट और सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण हमें स्वीकार नहीं!", "सरकार की किसान–विरोधी नीतियों का विरोध करें!", "मज़दूर एकता ज़िंदाबाद!", इत्यादि।

वर्कर्स यूनिटी मूवमेंट के प्रतिनिधि कामरेड भास्कर ने ए.ए.आई. के निजीकरण के ख़िलाफ़ मज़दूरों के संघर्ष को अपना समर्थन प्रकट किया। धरना प्रदर्शन समाप्त करने से पहले प्रण लिया गया कि हवाई अड्डों के निजीकरण

शेष पृष्ठ 8 पर

पेरिस कम्यून की 150वीं वर्षगांठ

पृष्ठ 2 का शेष

लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया। कम्यून ने क्रूर अत्याचार के प्रतीक, गिलोटिन (क्रूर तरीके से सिर काटने के यन्त्र) को भी नष्ट कर दिया, जिससे लोग नफ़रत करते थे।

ये सारे क्रांतिकारी क़दम केवल दो महीने के छोटे से काल में उठाये गए, जब कम्यून और मज़दूर वर्ग को घेराबंदी के असर का सामना करना था और अधिकांश समय दुश्मन के साथ सीधे लड़ाई में भी शामिल होना था। हुक्मरान वर्ग के रूप में संगठित मज़दूर वर्ग सबसे कठिन हालातों में भी, क्या हासिल कर सकता है, इसे कम्यून के काम ने व्यवहारिक रूप से साबित कर दिया।

पेरिस कम्यून के सबक

पेरिस कम्यून की उपलब्धियां दुनियाभर के श्रमजीवी क्रांतिकारियों के लिए आकाश–दीप की तरह थे। कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना "फ्रांस में गृहयुद्ध" में मज़दूर वर्ग के मुक्ति संघर्ष में कम्यून की महान उपलब्धियों के योगदान का विस्तार से विश्लेषण किया है। रूस में 1917 की समाजवादी क्रांति की पूर्व संध्या पर लिखी अपनी चिरस्थाई रचना "राज्य और क्रांति" में वी.आई. लेनिन ने कम्यून द्वारा लिए गए निर्णायक क़दमों के महत्व को उजागर किया है। कम्यून के इस अनुभव ने साबित कर दिया है कि मज़दूर वर्ग को सरमायदारों के पुराने राज्य तंत्र को नष्ट करने और पराजित हुए शोषक वर्ग पर अपनी हुक्मशाही क़ायम करने की ज़रूरत है।

इसके साथ–साथ, पेरिस कम्यून की पराजय और उसकी कमजोरियों से भी अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर वर्ग को कई महत्वपूर्ण सबक सीखने को मिलते हैं।

पेरिस कम्यून एक स्वतः स्फूर्त बग़ावत का नतीजा था और इस वजह से संगठन की कमजोरियों से ग्रसित था। संघर्ष के दौरान कई बार वह खुद की सफलतापूर्ण हिफ़ाज़त करने के लिए निर्णायक क़दम नहीं ले पाया। दुश्मन सरमायदारों की ताक़त और उके अनुभव को टक्कर देने, उनकी शातिर चालों को समझने और अपने संगठन में फ़ौलादी–एकता बनाये रखने के लिए श्रमजीवी वर्ग को उसका अपना हिरावल दस्ता, पेशेवर क्रांतिकारियों की पार्टी की ज़रूरत है। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे लेनिन ने रूस के

कम्यून द्वारा मज़दूरों को शोषण दमन से मुक्त कराने के लिये जारी किये गये फ़रमानों को बड़े उत्साह से पढ़ते हुए पेरिस के मज़दूर

समाजवादी क्रांतिकारियों को अच्छी तरह से समझाया और बोल्शेविक पार्टी का निर्माण किया, जिसने 1917 में अक्तूबर क्रांति को अगुवाई दी।

कम्यून की पराजय से एक और सबक मिलता है कि मज़दूर वर्ग अपने दुश्मन के प्रति कोई ढिलाई नहीं दिखा सकता है। मार्क्स और ऐंगल्स ने बताया है कि कम्यून ने बैंक ऑफ फ्रांस पर अपना कब्ज़ा जमाने और सरमायदारों को उनके संसाधनों से वंचित करने में हिचकिचाहट दिखाई और यह एक बहुत बड़ी भूल थी। इसके अलावा, क़त्लेआम को टालने की उम्मीद में उन्होंने वर्सेल्स की सरकार के साथ समझौता करने की कोशिश की और इस तरह से वर्सेल्स की सरकार को अपनी सेना को पुनः हथियारबंद करने और पुनर्गठित करने का समय मिल गया और जिसे उसने कम्युनार्डों के ख़िलाफ़ झोंक दिया। जब सरमायदारों की सेना ने पेरिस में प्रवेश किया उस समय उन्होंने कम्युनार्डों या लोगों के प्रति कोई भी ढिलाई नहीं बरती और उनसे रक्तरंजित बदला लिया। यह अनुभव दिखाता है कि विजयी मज़दूर वर्ग को पराजित दुश्मन की सेना के ख़िलाफ़ अपनी हुक्मशाही चलाना बेहद ज़रूरी है।

कम्यून की पराजय का एक और प्रमुख कारक यह है कि सरमायदारी ताक़तें पेरिस के मज़दूर वर्ग को किसानों और देश के अन्य मेहनतकशों से अलग कर पाने में सफल हो गईं। चूंकि कम्युनार्ड अन्य मेहनतकशों तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए दुश्मन लोगों के बीच उनके ख़िलाफ़ तमाम तरह के झूठ फैलाने और कम्यून को कुचलने में क़ामयाब हो गया। पेरिस कम्यून के अनुभव से एक और महत्वपूर्ण सबक मिलता है और वह है कि शोषक वर्गों की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए मज़दूर वर्ग को किसानों के साथ एक अटूट एकता बनाने की सख़्त ज़रूरत है।

निष्कर्ष

पेरिस कम्यून को अनंतकाल तक मेहनतकशों के मुक्ति संघर्ष में एक नए दौर, श्रमजीवी वर्ग की हुक्मशाही के दौर का आगाज़ करने के लिए याद किया जायेगा। उसने दिखा दिया कि मज़दूर वर्ग के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है – राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेना, शोषकों के राज्य तंत्र को नष्ट करना और वर्ग आधारित समाज की आर्थिक बुनियाद को जड़ से उखाड़ फेंकना। पेरिस कम्यून ने दिखा दिया कि मज़दूर वर्ग अपनी ऐतिहासिक भूमिका को निभाने के लिए तैयार भी है और क़ाबिल भी। पेरिस कम्यून के समय से मज़दूर वर्ग के बीच यह समझ, अक्तूबर क्रांति और अन्य श्रमजीवी क्रांतियों के अनुभव के आधार पर कई क़दम आगे बढ़ गयी है। बार–बार मज़दूर वर्ग अपनी पराजय और असफलता से सीखता है कि, किस तरह से उसे पुनर्गठित होना है और अपने मुक्ति संघर्ष को बेहतर तरीके से संगठित करना है।

आज के दौर में मज़दूर वर्ग के भीतर निराशा फैलाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, यह भ्रम फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था और सरमायदारों की हुकूमत के साथ समझौता करने के अलावा मज़दूर वर्ग के सामने कोई और रास्ता नहीं है। पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के साथ समझौते का रास्ता और तीव्र शोषण, संकट और जंग की दिशा में ही लेकर जायेगा। मज़दूर वर्ग को इस रास्ते को ठुकराना होगा। कम्युनार्डों द्वारा दिखाए गए अग्निपथ पर चलते हुए मज़दूर वर्ग को खुद अपने ही मानकों के आधार पर जत्थेबंदी करनी होगी। बोल्शेविकों और वी.आई. लेनिन का अनुसरण करते हुए उसे अपनी पार्टी में एकजुट होना होगा और सरमायदारों पर संपूर्ण विजय के लिए और मेहनतकशों के शोषण और दमन की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए संगठित तरीके से संघर्ष करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/20703

ब्रिटेन में पुलिस की शक्ति बढ़ाने वाले विधेयक का विरोध

ब्रिटेन की सरकार ने संसद में एक विधेयक पेश किया है, जिससे लोगों के अधिकारों और न्याय के संघर्षों को कुचलने के लिए पुलिस को अधिक शक्तियां हासिल हो जाएंगी। इस विधेयक को पुलिस, जुर्म, सज़ा और न्यायालय विधेयक कहा गया है।

ब्रिटिश सरकार ने इस विधेयक को संसद में 15 मार्च को ऐसे समय पर पेश किया, जब अधिकारों और इन्साफ की मांग कर रहे लोगों पर पुलिस की हिंसा बढ़ती ही जा रही है और इससे मज़दूरों और मेहनतकश लोगों के बीच बेहद गुस्सा है। हाल ही में मार्च के महीने में, जब लोग एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक नौजवान महिला का अपहरण करने और उसका क़त्ल किये जाने के ख़िलाफ़ और उसकी याद में प्रदर्शन आयोजित कर रहे थे, तो पुलिस ने उन पर बर्बर हमला किया।

जब से यह विधेयक संसद में पेश किया गया है उस समय से देशभर में कई विरोध प्रदर्शन आयोजित किये गए हैं। पुलिस ने इनमें से कई प्रदर्शनों पर बर्बर हमला किया है।

"किल द बिल" इस बैनर तले 3 अप्रैल, 2021 को पूरे इंग्लैंड में हज़ारों लोग लंदन, ब्रिस्टल, मेनचेस्टर और कई अन्य शहरों में सड़कों पर उतर आये हैं। ब्रिस्टल में हज़ारों प्रदर्शनकारी शहर में एक जगह इकट्ठा हो गए। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने प्रमुख रास्ते को घेर लिया और पूरे यातायात को ठप्प कर दिया।

लंदन में हज़ारों लोगों ने हाईड पार्क से संसद चौराहे तक जुलूस निकाला, जहां उन्होंने एक सभा आयोजित की और अपने भाषणों में इस विधेयक की कड़ी निंदा की। इस सभा को तोड़ने के लिए पुलिस को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था और 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों

विधेयक के विरोध में लंदन में सड़कों पर उतरे लोग

को हिरासत में लिया गया। जिन प्रदर्शनकारियों ने वहां से उठने से इंकार किया उनको हिरासत में ले लिया गया और रायट शील्ड और कुत्तों के साथ पुलिस ने उन पर हमला कर दिया।

इस विधेयक से इंग्लैंड और वेल्स में लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को शोरगुल वाला या लोगों के लिए परेशानी पैदा करने वाला करार देते हुए उन पर हिंसक हमला करने की शक्ति पुलिस को दी गयी है। जो लोग गिरफ़्तार किये गए हैं उन पर भारी जुर्माना लगाये जाने या जेल की सजा थोपने का प्रावधान है। समय और शोर की सीमा का हवाला देते हुए पुलिस को इन प्रदर्शनों को तोड़ने की शक्तियां इस विधेयक के जरिये पुलिस को दी गयी हैं। अभी तक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर कानून (पब्लिक आर्डर अधिनियम 1986) का इस्तेमाल कर सकती है जिसे विरोध प्रदर्शनों का "प्रबंधन" करने के नाम पर पारित किया गया था। ब्रिटिश सरकार के अनुसार "जिस तरह के विरोध प्रदर्शन हम आज देख रहे हैं, उनसे निपटने के लिए मौजूदा कानून काफी नहीं है। इसलिए इस कानून को अपडेट किया जा रहा है जिससे पुलिस को ऐसे प्रदर्शनों का "सुरक्षित और प्रभावी तरीके से प्रबंधन" करने में मदद मिलेगी।

असलियत यह है कि इंग्लैंड और दुनियाभर के कई देशों में नस्ली हमलों, सामाजिक खर्चों में कटौती, महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा और राज्य के अन्य जन–विरोधी कदमों के ख़िलाफ़ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जो विधेयक प्रस्तावित किया गया है, यह विधेयक पुलिस को शक्ति देता है, जिससे वह लोगों के विरोध प्रदर्शनों और सभाओं को गुनहगारी कार्यवाही घोषित कर सकते हैं।

यह विधेयक ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पारित किये गए हैं। दुनिया के हर कोने में हुक्मरान वर्ग अपनी जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ लोगों द्वारा आवाज़ उठाने के अधिकार को दबाने का काम कर रहा है, और इसके ख़िलाफ़ उठती हर एक आवाज़ को कुचलने का काम कर रहा है। यहां तक कि 3 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कानूनी पर्यवेक्षकों को भी "स्वास्थ्य सुरक्षा नियामकों" को लागू करने के बहाने से गिरफ़्तार कर लिया है। इन कानूनी पर्यवेक्षकों का काम है कि वह प्रदर्शनों के दौरान मौजूद रहें और टकराव की स्थिति में वह प्रदर्शकारियों को कानूनी सलाह दे सकें।

ब्रिटेन के लोगों ने इस विधेयक के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और उसे पारित होने से रोकने का प्रण लिया है। वे समझते हैं कि हुक्मरान वर्ग किसी न किसी बहाने लोगों के संघर्ष को कुचलने की कोशिश कर रहा है, ताकि लोगों के जायज़ संघर्षों को कुचला जा सके।

http://hindi.cgpi.org/20697

किसानों ने सफलतापूर्वक भारत बंद किया

इस समय किसान आंदोलन को अगुवाई दे रहे संयुक्त किसान मोर्चे (एस.के.एम.) ने दिल्ली की सीमाओं – सिंघु, गाजीपुर और टीकरी पर 4 महीने पूरे होने के अवसर पर 26 मार्च को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के लिये भारत बंद का आह्वान किया था।

नए श्रम कानूनों के विरोध में और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा लोगों की मूल्यवान सम्पत्ति का तेज़ी से बढ़ रहे निजीकरण के ख़िलाफ़, इसी दिन देशभर की ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था।

पुलिस व अर्ध–सैनिक बलों की भारी तैनाती तथा आंदोलन की जगहों पर लोगों को जाने रोकने या घरों से बाहर निकलने पर लगी पाबंदियों के बावजूद भी किसानों ने भारत बंद को बड़े संकल्प के साथ आयोजित किया।

भारत बंद में भाग ले रहे किसान

उन्होंने किसान–विरोधी कानूनों को वापस लेने तक और सभी फ़सलों को राज्य द्वारा लाभकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ख़रीदने की गारंटी देने वाले कानून के लागू करवाने तक इस आंदोलन को जारी रखने की प्रतिज्ञा ली है। देशभर में अपनी आजीविका और हक़ों पर हो रहे हमलों के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे मज़दूरों का किसानों ने समर्थन किया।

कुछ ही दिनों बाद होली का उत्सव था और प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पारम्परिक उत्सवों का उपयोग अपनी एकता व दृढ़ संकल्प को मजबूत करने के लिए किया। ग़ाजीपुर विरोध स्थल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के किसानों का एक समूह ढोल–ताशों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। आंदोलनकारियों ने इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रोचक संगीत की ताल पर थिरकते हुए हिस्सा लिया।

http://hindi.cgpi.org/20661

किसान–विरोधी कानूनों की प्रतियों की होली जलाई गई

होली की पूर्व संध्या पर 28 मार्च को दिल्ली के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने किसान–विरोधी कानूनों की प्रतियों की होली जलाई और मांग की कि इन कानूनों को तुरंत रद्द किया जाये।

किसानों के सांझा मंच, संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने एक बयान जारी करके कहा है कि धरना प्रदर्शन पर बैठे किसानों ने इस वर्ष बॉर्डर पर ही होली मनाई है और ऐलान किया है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसान–विरोधी कानून रद्द नहीं किये जाते और फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून पारित नहीं किया जाता। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी ऐलान किया कि 5 अप्रैल को वे "एफ.सी.आई. बचाओ दिवस" के रूप में मनाएंगे। इस दिन देशभर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) के दफ़्तरों का घेराव आयोजित किया जायेगा। हाल के वर्षों में सरकार द्वारा बड़े ही सुनियोजित तरीक़े से फ़सलों की ख़रीदी में एफ.सी.आई. की भूमिका को लगातार कम किये जाने के विरोध में किसान यह आंदोलन चला रहे हैं।

संयुक्त किसान मोर्चा के बयान में कहा गया है कि "सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पी.डी.एस.) को ख़त्म करने

सिंघु बॉर्डर पर कृषि-कानूनों की होली जलाई

की कई कोशिशें की हैं। पिछले कुछ वर्षों से एफ.सी.आई. के बजट को भी कम किया गया है। हाल ही में एफ.सी.आई. ने फ़सलों की ख़रीदी के नियमों में बदलाव किया है।"

इसके साथ ही किसान संगठनों ने कहा कि वे सही मायने में तब तक होली नहीं मना सकते, जब तक तीन किसान–विरोधी कानून रद्द नहीं किये जाते और उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता।

किसान संगठनों ने हरियाणा की विधानसभा द्वारा "सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी के दौरान संपत्ति के नुकसान की भरपाई वसूली विधेयक–2021" को पारित किये जाने पर भी विरोध प्रकट किया और आशंका जताई कि इस कानून का इस्तेमाल किसानों के आंदोलन के साथ–साथ अन्य जन आंदोलनों को भी कुचलने के लिए किया जायेगा।

29 मार्च को सिंघु बॉर्डर पर किसानों ने ज़ोर–शोर से "होल्ला मोहल्ला" त्योहार मनाया। इस समय हरियाणा की महिला किसान भी उत्सव में शामिल हो गईं और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तब तक वे इसी तरह से हर एक त्यौहार बॉर्डर पर ही मनाएंगी।

टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने मुख्य मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया और अपना संघर्ष जारी रखने का प्रण लिया। इसके बाद उन्होंने आस–पास के इलाके में सफाई अभियान चलाया।

गाजीपुर बॉर्डर पर राज्य द्वारा तमाम तरह की कठिनाइयां खड़ी किये जाने के बावजूद किसानों ने बड़ी ही धूम–धाम से होली मनाई। दिल्ली और आस–पास के इलाकों के लोग भी इस जश्न में शामिल हुए। मंडी मुल्लनपुर से आये लोक कला मंच ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ किसानों की होली में जोश भर दिया। उन्होंने "उठन दा वेला" नाटक पेश किया और किसानों को अपने संघर्ष की एकजुटता और मजबूती को बरकरार रखते हुए उसे जारी रखने का आह्वान दिया।

http://hindi.cgpi.org/20665

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2018-20

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT. U (SE)-38/2018-20

Posting Date at DPSO, Delhi-6, 16 & 17 Apr, 2021 Date of publish - 16 Apr, 2021

To .....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक–मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020। email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें : ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 09868811998

चार राज्यों में विधानसभा चुनाव

पृष्ठ 1 का शेष

चुनावी बांड और अन्य तरीकों से भाजपा को हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार कंपनियों से अपने प्रचार अभियान को चलाने के लिए बहुत सारा धन मिला है, इसलिए इस समय वह इस मामले में अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे है। केंद्र सरकार भी भाजपा के हाथ में है इसलिए उसे यह फ़ायदा है कि राज्य सरकारों की तिजोरियों पर भी उसी का नियंत्रण है। भाजपा का यह नारा कि "केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो", यह राज्य के लोगों को खुश करने के लिए एक रिश्वत है, एक वादा है कि अगर वहां भाजपा की सरकार बनती है तो उसे केंद्र से ज्यादा धन मिलेगा।

इस तथाकथित महायुद्ध में दोनों ही पक्ष लोगों का ध्यान सच्चाई से हटाते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा कहती है कि तृणमूल कांग्रेस हिन्दू–विरोधी है जबकि तृणमूल कांग्रेस कहती है कि भाजपा बंगाली–विरोधी है। दोनों पक्ष लोगों का ध्यान इस सच्चाई से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और सरकारी नीतियां पूंजीपति–परस्त और जन–विरोधी हैं। जिसके चलते, मज़दूरों और किसानों का बेरहम शोषण और दमन होता है, वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, बंगाली हों या बिहारी या वे किसी और पहचान के हों।

चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सभी प्रतिस्पर्धी पार्टियां या गठबंधन मज़दूरों और किसानों की मांगों को पूरा करने का वादा करती हैं। परन्तु सरकार में आने के बाद सभी पार्टियां पूरी अडिगता के साथ टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और दूसरे इजारेदार पूंजीवादी घरानों की मांगों को ही पूरा करती हैं।

हमारा समाज वर्गों में बंटा हुआ है, इसलिए अलग–अलग वर्गों के लोग अपने–अपने वर्ग के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए अपनी–अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं।

वर्तमान काल में पूंजीपति वर्ग प्रतिस्पर्धी व्यक्तिगत और गुटवादी हितों के आधार पर बंटा हुआ है। इसलिए, कई प्रतिस्पर्धी पार्टियों का होना उसके वर्ग के हितों के लिए अच्छा है। एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें पूंजीपतियों की सेवा करने में माहिर प्रतिस्पर्धी पार्टियां राज्य की मशीनरी पर नियंत्रण करने के इरादे से आपस में लड़ती हैं, तो वे पूंजीपतियों की हुकूमत को ही बरकरार रखती है। जिसमें लोगों को पूंजीपतियों की प्रतिस्पर्धी पार्टियों की पूंछ बनाकर रखा जाता है।

श्रमजीवी वर्ग, यानी मज़दूर वर्ग के पास अपनी श्रम शक्ति के अलावा बेचने के लिये कुछ और नहीं है, वह वस्तुगत तौर पर समाजवाद की ओर आकर्षित होता है। अगर श्रमजीवी वर्ग को मानव श्रम के हर प्रकार के शोषण को मिटाने के अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो उसे खुद को एक एकजुट राजनीतिक ताक़त के रूप में संगठित करना होगा। श्रमजीवी वर्ग के अगुवा हिस्से को हिरावल कम्युनिस्ट पार्टी में संगठित होना होगा। श्रमजीवी वर्ग के बाकी व्यापक भाग को एक संयुक्त मोर्चे में संगठित होना होगा, जिसे सभी मेहनतकशों और उत्पीड़ित लोगों के साथ अटूट एकता बनानी होगी।

जिन किसानों के पास अपनी ज़मीन होती है और दूसरी छोटी–मोटी सामग्रियों के उत्पादक भी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाते हैं। लेकिन इन मंझोले तबकों के अपने कोई ऐसे खास हित नहीं होते, जिन्हें वे या तो समाजवाद की तरफ या फिर पूंजीवाद की तरफ गए बिना, अलग से पूरा कर सकते हैं। समाज के वर्तमान पड़ाव पर, आगे बढ़ने के सिर्फ दो ही रास्ते मुमकिन हैं – पूंजीपतियों का पूंजीवादी–साम्राज्यवादी रास्ता या श्रमजीवी वर्ग का समाजवादी रास्ता। इन मंझोले तबकों से उभरने वाली पार्टियां पूंजीपति वर्ग और श्रमजीवी वर्ग के बीच में, इधर से उधर डोलती रहती हैं और अंत में वे एक या दूसरे पक्ष के साथ मिल जाती हैं।

वर्तमान व्यवस्था के अन्दर किसकी सरकार बनती है, वह कौन–सा कार्यक्रम लागू करती है और कौन से कानून पास करती है, इन सारी बातों पर फ़ैसला करने में अधिकतम लोगों की कोई भूमिका नहीं होती। फ़ैसले लेने की ताक़त उसी पार्टी के हाथों में संकेंद्रित होती है, जिसके पास संसद या विधानसभा में बहुमत है। सरकार चलाने वाली पार्टी सत्तारूढ़ पूंजीपति वर्ग के प्रबंधक दल का काम करती है।

सभी तथ्यों और गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान व्यवस्था में चुनावों का जनमत से कोई संबंध नहीं है। चुनावों के ज़रिये इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग का मत ही पूरे समाज पर थोप दिया जाता है।

भाजपा या किसी दूसरी पार्टी की चुनावी जीत जनमत को नहीं दर्शाती है। चुनावों के नतीजे लोग नहीं निर्धारित करते हैं। इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में पूंजीपति वर्ग ही चुनावों के नतीजों को निर्धारित करता है। चुनावों के नतीजों को निर्धारित करने के लिए पूंजीपति वर्ग के पास बहुत सारे हथकंडे हैं – बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, भटकाववादी हरकतें, लोगों को बांटना, मतदान में हेराफेरी, ई.वी.एम. की चोरी और ई.वी.एम. के साथ हेराफेरी, इत्यादि।

अगर मज़दूरों और किसानों को फ़ैसले लेने की ताक़त को अपने हाथों में लेनी है, तो वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को ख़त्म करना होगा, क्योंकि इस व्यवस्था का समय पूरा हो गया है, यह जन–विरोधी है और पूरी तरह बदनाम हो चुकी है। इसकी जगह पर एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करनी होगी, जिसमें फ़ैसले लेने की ताक़त लोगों के हाथों में होगी।

मज़दूरों और किसानों, यानी देश की अधिकतम आबादी के हाथों में यह ताक़त होनी चाहिए कि वे अपने भरोसेमंद नुमाइंदों का चयन कर सकें और उन्हें चुनकर उच्चतम फ़ैसले लेने वाले निकायों में बैठा सकें। समाज का एजेंडा तय करने में मज़दूरों और किसानों की भागीदारी होनी चाहिए। मज़दूरों और किसानों के हाथों में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें किसी भी समय पर वापस बुलाने की ताक़त होनी चाहिए। लोगों के हाथों में कानून बनाने या बदलने, कानूनों या नीतिगत फ़ैसलों को जनमत संग्रह के ज़रिये अपनाने या ख़ारिज़ करने का अधिकार होना चाहिए।

जब हम मज़दूरों और किसानों के हाथों में फ़ैसले लेने की ताक़त होगी, तो हम अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करके एक नई दिशा में चला सकेंगे, ताकि सबकी सुख और सुरक्षा सुनिश्चित हो न कि पूंजीपतियों के अधिक से अधिक मुनाफ़े सुनिश्चित हों।

वर्तमान हालतों में यह ज़रूरी है कि जो भी पार्टी या व्यक्ति हिन्दोस्तानी समाज को इस संकट से बाहर निकालना चाहता है, उसे पूंजीपतियों के सभी प्रतिस्पर्धी पार्टियों व दलों को ठुकराना होगा। हमें क्रांतिकारी मज़दूर–किसान मोर्चे को बनाने और मजबूत करने पर अपनी पूरी ताक़त लगानी होगी।

हम अपने श्रम से देश की सारी दौलत को पैदा करते हैं। हम, मज़दूरों और किसानों को देश का मालिक बनना होगा। हमें मिलकर देश के भविष्य के बारे में फ़ैसले लेने होंगे। हमें सबको सुख और सुरक्षा की गारंटी देने वाली आर्थिक व्यवस्था और राज्य स्थापित करनी होगी। इस लक्ष्य और नज़रिए के साथ हमें अपनी फौरी मांगों के संघर्ष आगे बढ़ाने होंगे।

इजारेदार पूंजीपतियों के हमलों के ख़िलाफ़ संघर्ष के दौरान हमें उस क्रांतिकारी संयुक्त मोर्चे को बनाना व मजबूत करना होगा, जो उस मूलभूत तबदीली, उस सत्ता परिवर्तन को लाने में क़ामयाब होगा जिसकी मांग आज हिन्दोस्तानी समाज कर रहा है।

http://hindi.cgpi.org/20690

इस तथाकथित महायुद्ध में दोनों ही पक्ष लोगों का ध्यान सच्चाई से हटाते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा कहती है कि तृणमूल कांग्रेस हिन्दू–विरोधी है जबकि तृणमूल कांग्रेस कहती है कि भाजपा बंगाली–विरोधी है। दोनों पक्ष लोगों का ध्यान इस सच्चाई से हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था और सरकारी नीतियां पूंजीपति–परस्त और जन–विरोधी हैं। जिसके चलते, मज़दूरों और किसानों का बेरहम शोषण और दमन होता है, वे चाहे हिन्दू हों या मुसलमान, बंगाली हों या बिहारी या वे किसी और पहचान के हों।

हवाई अड्डों के निजीकरण ...

पृष्ठ 6 का शेष

के सभी प्रयासों का जमकर सामना किया जायेगा। हवाई अड्डों के कर्मचारियों ने फ़ैसला लिया है कि हर सप्ताह बुधवार को भोजन के अवकाश के दौरान देशभर में सभी हवाई अड्डों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किये जायेंगे।

http://hindi.cgpi.org/20683

1. समाचार पत्र का नाम–मज़दूर एकता लहर
2. समाचार पत्र की पंजीकरण संख्या–45893/86
3. भाषा/भाषाएं, जिसमें/समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है–हिन्दी
4. इसके प्रकाशन का नियतकाल तथा जिन दिन/दिनों/तिथियों को यह प्रकाशित होता है – हर महीने की 1 व 16 तारीख
5. समाचार पत्र की फुटकर कीमत – 5.00 रुपया
6. प्रकाशक/मुद्रक का नाम – लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ से मधूसूदन कस्तूरी, राष्ट्रीयता – भारतीय, पता–ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
7. संपादक का नाम – मधुसूदन कस्तूरी, राष्ट्रीयता – भारतीय, पता–ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020
8. जिस स्थान पर मुद्रण का काम होता है तथा ठीक विवरण – शुभम इंटरप्रईजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065
9. प्रकाशन का स्थान – ई–392, संजय कालोनी, ओखला फेज–2, नई दिल्ली 110020

पाठक वार्षिक ग्राहकी शुल्क सीधे हमारे बैंक खाते में भेजें

मज़दूर एकता लहर के पाठक अपना वार्षिक ग्राहकी शुल्क सीधे हमारे बैंक खाते में जमा करके हमें इसकी सूचना नीचे दिये फोन, ईमेल या वाट्सएप पर अवश्य दें।

प्रति : लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, नई दिल्ली कालका जी, **खाता संख्या** :– 20066800626

ब्रांच कोड :– 00974 न्यू दिल्ली कालका जी

आई.एफ.एस. कोड (IFSCode) :– MAHB0000974

फोन : 9810187911, 9868811998 (वाट्सएप)

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com